

डक्कटा बलराम रेड्डी और अन्य।

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य।

(आपराधिक अपील सं. 1295/ 2019)

21 अप्रैल, 2023

**[दिनेश महेश्वरी और संजय कुमार, न्यायमूर्तिगण]**

दण्ड संहिता, 1860 - धाराएँ 302, 397, 450 - परिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामला - अभियोजन का मामला है कि आरोपी अपीलकर्ता (A1 और A2) ने PW-1 के घर में अतिक्रमण किया, जहाँ उसने अपना सोने और चांदी का व्यापार भी किया, लोहे की छड़ी को छुपाया और सोने के गहनों की चोरी की और उसके बेटे और पत्नी को बर्बरता से मार डाला।- धाराएँ 302, 397 और 450 के तहत दण्डनीय अपराधों के लिए आरोपी दोषी पाए गए और उसके अनुसार सजा दी गई - उसकी कानूनिकता - यहाँ तक कि वास्तविक हत्याओं के लिए कोई साक्षी नहीं थे, वहाँ तीन अलग-अलग साक्षी थे PWs 4, 6, और 10, जो एक दूसरे से स्वतंत्र थे और आरोपितों के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और एक साथ दुर्भाग्यपूर्ण रात में PW-1 के घर से बैग के साथ भागते हुए एक या दोनों आरोपी को देखने के बारे में बताए - तीन अलग-अलग साक्षी क्यों आरोपी को झूठा फंसाना चुनेंगे, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया - दुर्भाग्यपूर्ण रात को घटनाएं तेजी से घटित हुईं, जिससे न केवल मौजूद साक्षियों द्वारा आरोपितों की पहचान हुई बल्कि उनका हिरासत में लेना और गिरफ्तारी भी हुई, अलावा उनके अधिग्रहण से चुराए गए सोने के आभूषण और नकदी का जब्ता भी हुआ, पुलिस के पास उन पर एक झूठा मामला गढ़ने का कोई समय या संभावना नहीं थी - कुछ वर्षों के बाद गवाहों द्वारा दिए गए बयानों में छोटी-छोटी और कमियां ऐसे परिदृश्य में अवश्य ही नजरअंदाज की जानी चाहिए - विचारण न्यायालय और हाई कोर्ट द्वारा कोई स्पष्ट अवैधता या स्पष्ट अन्याय नहीं किया गया, जिससे अनुच्छेद 136 के तहत विवेकाधीन क्षेत्रधिकार का उपयोग करने का आवश्यकता हो - साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 27, 106, 114(अ) - भारतीय संविधान - अनुच्छेद 136 - साक्ष्य - परिस्थितिक साक्ष्य।

भारत का संविधान - अनुच्छेद 136 - क्षेत्राधिकार की परिधि - आरोपित के खिलाफ दोष की संवृद्ध निष्कर्षों के साथ, अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप - चर्चित किया गया।

पप्पू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) 10 SCC 321; संभू दास उर्फ बिजॉय दास और दूसरा बनाम असम राज्य (2010) 10 SCC 374 : [2010] 11 SCR 493 हनुमंत

गोविंद नरगुंडकर बनाम मध्यप्रदेश राज्य AIR 1952 SC 343 : [1952] SCR 1091;  
कर्नेल सिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य (1995) 5 SCC 518 : [1995] 2 Suppl. SCR  
629 - पर निर्भर किया गया।

#### मामला कानून संदर्भ

|                         |         |                    |
|-------------------------|---------|--------------------|
| (2022) 10 SCC 321       | पैरा 6  | पर निर्भर किया गया |
| [2010] 11 SCR 493       | पैरा 7  | पर निर्भर किया गया |
| [1952] SCR 1091         | पैरा 8  | पर निर्भर किया गया |
| [1995] 2 Suppl. SCR 629 | पैरा 21 | पर निर्भर किया गया |

आपराधिक अपीली अधिकारक्षेत्र: आपराधिक अपील संख्या 1295 वर्ष 2019

तारीख 03.10.2018 के न्यायादीश और आदेश से, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, CRLA संख्या 915 वर्ष 2016 में।

आर. बसंत, वरिष्ठ अधिवक्ता, जी. एन. रेड्डी, मनु कृष्णन, वी. विष्णु सी. कश्यप, रवि शंकर, अधिवक्ता अपीलकर्ताओं के लिए।

महफूज अहसन नजकी, पोलंकी गौतम, के वी गिरीश चौधरी, शैख मोहमद हनीफ, टी विजया भास्कर रेड्डी, मिस नीति ऋच्छरिया, मिस राजेश्वरी मुखर्जी, वाई. राजा गोपाल राव, मिस वाई. विस्मई राव, वाई. रमेश, धुली गोपी कृष्णा, प्रतिवादियों के लिए एडवोकेट्स।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

#### **संजय कुमार, न्यायमूर्ति**

1. दिनांक 30.08.2016 को पारित न्यायादीश, सोमपेटा, ने सत्र मामला संख्या 81 के 2012 में, वहां के आरोपित, अर्थात्, डक्कटा बलराम रेड्डी (ए1) और चिनापना गोपी (ए2) को भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 302, 397 और 450 के तहत सजायाय अपराधों के लिए दोषी पाया और उन्हें उसी प्रकार सजा दी। उनकी सजा और दोषी ठहराव तब स्थिर हो गई जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए उच्च न्यायालय ने दिनांक 03.10.2018 को पारित न्यायादीश में दोनों आरोपितों द्वारा दायर कृत आपराधिक अपील संख्या 915 के 2016 को खारिज कर दिया। इससे आहत होकर, दोनों आरोपित इस न्यायालय के सामने हैं।

2. श्री आर. बसंत, विद्यावान वरिष्ठ परामर्शदाता, जो अपीलार्थी/आरोपित के लिए उपस्थित हुए; श्री महफूज आहसन नज़की, विद्यावान परामर्शदाता, जो आंध्र प्रदेश राज्य के लिए उपस्थित हुए; और श्री वाई. राजा गोपाल राव, विद्यावान परामर्शदाता, जो दूसरे प्रतिवादी, अर्थात्, फरियादी के लिए उपस्थित हुए।

3. प्रक्षेपण का मामला: फरियादी, वेच्चा केसवा राव (PW-1), इच्छापुरम के निवासी हैं और उनका घर छिन्नमेदरवीथी पर स्थित है, जहाँ उन्होंने अपना सोने और चांदी का व्यापार भी किया। A1 एक सिविल ठेकेदार हैं जबकि A2, उनके साला, एक पूर्व-सैनिक हैं। 21.08.2008 को लगभग 9.00 बजे, PW-1 के अनुपस्थित होने पर, A1 और A2 ने अपनी कमीज़ों के नीचे लोहे की छड़ियाँ छुपाई हुई उनके घर में घुसपैठ की और उनके बेटे, वेच्चा किरण कुमार (दिवंगत न.१), और उनकी पत्नी, वेच्चा वेंकटगोपाल लक्ष्मी (दिवंगत न.2) को क्रूरता से मार डाला; और लगभग 3.543 किग्रा वजन के सोने के आभूषण और ₹ 18,340/- का नकद लूट लिया। उसी रात करीब 11.00pm बजे, PW-1 ने इच्छापुरम टाउन पुलिस स्टेशन पर उनके खिलाफ एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। तब से, सब-इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इच्छापुरम ग्रामीण P.S. (PW-23) ने क्राइम न. 61 ऑफ 2008 दर्ज किया, और उसने इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को सूचित किया जो इच्छापुरम सर्कल का अतिरिक्त प्रभार धारण कर रहे थे (PW-26)। PW-26 ने तुरंत जाँच शुरू की। उन्होंने अपराध स्थल की मौका परीक्षा की और मध्यस्थों की उपस्थिति में मृत देहों पर तहकिकात की। जानकारी मिलते ही उन्होंने 22.08.2008 को राधामवीथि, जगन्नाथस्वामी मंदिर, इच्छापुरम में 01.15 am पर A2 को गिरफ्तार किया, मध्यस्थों की उपस्थिति में और उसके अधिग्रहण से चोरी का माल, अर्थात्, 1748 ग्राम 750 मिलीग्राम सोने के आभूषण और ₹ 18,340/- का नकद वसूला। फिर उन्होंने 22.08.2008 को 04.00 am पर गोलावीथि, इच्छापुरम से A1 को गिरफ्तार किया और मध्यस्थों की उपस्थिति में उसके अधिग्रहण से 1794 ग्राम 370 मिलीग्राम सोने के आभूषण वसूले। इस प्रकार, PW-26 ने आरोपितों से 3.543 किग्रा सोने के आभूषण और नकदी वसूली की। उन्होंने कई गवाहों की पूछताछ भी की। वह अपराध स्थल गए और एक रफ्तार स्केच तैयार की। उनके अनुरोध पर, पुलिस इंस्पेक्टर, FPB यूनिट, श्रीकाकुलम (PW-24) ने कलू टीम के साथ अपराध स्थल पर जाकर चार मौके की उंगलियों के निशान निकाले। उसके बाद, पुलिस इंस्पेक्टर, इच्छापुरम सर्किल (PW-27) ने आगे की जाँच की। वह अपराध स्थल गया, गवाहों की पूछताछ की और उनके बयान रिकॉर्ड किए। जाँच पूरी होने के बाद, उसने आरोपितों के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की। उनके खिलाफ धाराएं 302, 379, 394 r/w 397, 411 और 450 IPC के तहत फ्रेम की गईं। उन्होंने अपनी दोषी न होने का दावा किया और ट्रायल होने का दावा किया।

4. ट्रायल के दौरान, अभियोजन ने 27 गवाहों की पूछताछ की और साक्ष्य के रूप में Exs.P-1 से P-21 तक को चिह्नित किया, इसके अलावा Material Objects (MOs) 1 से

99 तक को प्रस्तुत किया। आरोपी ने कोई साक्ष्य नहीं दिया परंतु धारा 313 Cr.P.C. के तहत पूछताछ की गई। साक्ष्य और MOs को देखते हुए, विद्यमान VI अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, सोमपेटा, ने आरोपितों को धारा 302, 397 और 450 IPC के तहत सज़ायाबले अपराधों के लिए दोषी पाया। उन्हें धारा 302 IPC के तहत उम्रकैद की सजा दी गई और प्रत्येक ₹ 2,000/- का जुर्माना भुगतान करने के लिए कहा गया; धारा 450 IPC के तहत 10 वर्षों की सजा और प्रत्येक ₹ 2,000/- का जुर्माना भुगतान करने के लिए कहा गया; और धारा 397 IPC के तहत 7 वर्षों की सजा। जुर्माना भुगतान में विफलता होने पर आगे की कैद की दिशा निर्देशित की गई।

5. इससे परेशान होकर, आरोपी ने उच्च न्यायालय के सामने आपराधिक अपील संख्या 915 की 2016 में दायर की। 03.10.2018 को दिए गए निर्णय से, उच्च न्यायालय की एक विभागीय पीठ ने राय दी कि परिस्थितिक साक्ष्य, मेडिकल साक्ष्य के साथ, उपयुक्त हथियार और हमले के तरीके की पुष्टि करते हैं, जिससे यह साबित होता है कि आरोपी PW-1 के घर के निवासियों की मौत का कारण बनना चाहते थे, धारा 300 IPC के अधीन अपराध के आवश्यक तत्वों को पूरा करते हुए, जो धारा 302 IPC के तहत सज़ायाबल है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष पर पहुँचा कि केस में कोई योग्यता नहीं थी और उसे खारिज कर दिया। अतः, संविधान की धारा 136 के तहत विशेष अनुमति से यह अपील है।

6. शुरुआत में, यह उचित होगा कि ध्यान दिया जाए कि ऐसे मामले में, जहाँ विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ सहमति से दोष की स्थिति उत्पन्न की है, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत क्षेत्राधिकार का दायरा क्या है। **पप्पू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2022) 10 SCC 321]** में, इस अदालत ने इशारा किया कि, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति से अपील में, जब विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने साक्ष्य मूल्यांकन के बाद तथ्य की सहमति से निर्णय दिया है, तो प्रत्येक और प्रत्येक तथ्य का निर्णय विवादित नहीं किया जा सकता और ऐसी अपील को ऐसे नहीं देखा जा सकता कि जैसे यह अदालत साक्ष्य पुनः मूल्यांकन के लिए एक और मंच है। इसे देखा गया था कि यदि कहा जा सकता है कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किए गए मूल्यांकन में कोई कानूनी या प्रक्रियात्मक त्रुटि है, या साक्ष्य की गलत पढ़ाई है, या न्यायिक प्रक्रिया के मानकों को नजरअंदाज करने के लिए, जिससे गंभीर पूर्वाग्रह या अन्याय होता है, तब इस अदालत का हस्तक्षेप हो सकता है, और उचित मामलों में करेगी भी, ताकि गंभीर या भयानक अन्याय को रोका जा सके, पर ऐसा कोर्स केवल स्पष्टता से अवैध मामलों में ही अपनाया जाएगा। इसे आगे भी देखा गया था कि ऐसी अपील एक नियमित अपील नहीं है और इस अदालत का साक्ष्य मूल्यांकन को पुनः आकलन करने में हस्तक्षेप नहीं करेगी ताकि वह विचारण

न्यायालय द्वारा लिया गया और उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत एक अलग दृष्टिकोण ले सके। और यह इस प्रकार की अपील का दायरा नहीं है कि साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन करेगा।

7. पहले **संभू दास उर्फ बिजॉय दास और दूसरा बनाम असम राज्य** [(2010) 10 SCC 374] में, इस अदालत ने पुष्टि की थी कि संविधान की धारा 136 किसी पक्ष को अपील का अधिकार नहीं देती है और केवल इस अदालत पर विवेकाधीन शक्ति प्रदान करती है जिसे संजतता से प्रयोग करना चाहिए उन उपयुक्त मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए जहाँ किसी अवैधता या भ्रम या साक्ष्य पढ़ाई में त्रुटि या महत्वपूर्ण साक्ष्य को नजरअंदाज करके, छोड़कर या अवैध रूप से स्वीकार करके अन्याय हुआ है।

8. यह स्थापित कानूनी स्थिति होने के बाद, अब मामला जांचा जा सकता है। वास्तविक अपराध की क्रियावली को देखने वाले कोई चशमदीद गवाह नहीं हैं और मामला परिस्थितिक साक्ष्य पर बनाया गया है। यह कहना प्राचीन है कि, ऐसी स्थिति में, साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूरी होनी चाहिए जिससे कि आरोपित की मासूमियत के साथ संगत एक निष्कर्ष के लिए कोई उचित कारण न छोड़े; अदालत केवल तब ही दोषी ठहरा सकती है, जब आरोपित 'होना चाहिए' और न कि केवल 'हो सकता है' दोषी, और स्थापित तथ्य केवल आरोपित की दोषता के सिद्धांत से ही संगत होने चाहिए [देखें **हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम मध्यप्रदेश राज्य**. (AIR 1952 SC 343)]।

9. इस संदर्भ में, निम्नलिखित तथ्य ध्यान में लिए जा सकते हैं: **वेचा केसवा राव वेचा केसवा राव (PW-1)** ने बताया कि, 21.08.2008 को लगभग 05.00 बजे शाम को, उसने व्यापारिक उद्देश्यों के लिए सोमपेटा जाने का कहा और लगभग 09.30 बजे उसे PW-7/LW-8 से एक कॉल मिली कि आरोपित उसके घर गए थे लगभग 09.00 बजे और उन्होंने घर से उच्च स्वर में चिल्लाहट और चीखें सुनीं। PW-7 फिर उसे बताया कि थोड़ी देर बाद A1 छोटे बंडलों के साथ सोना लेकर भाग गया जबकि वह और LWs 6 & 7 (PW-4 और PW-6) देख रहे थे और A2 पीछे के हिस्से की ओर ऊपरी मंजिल से भाग गया। PW-1 ने बताया कि वह सोमपेटा से लौटा और रात के लगभग 10.00 या 10.30 बजे अपने घर पहुँचा और उस समय, लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे और उसके घर के सभी दरवाजे खुले थे। उसका बेटा दुकान के कमरे में सोफे के पास खून के गड्ढे में पड़ा हुआ था और ज़मीन पर एक लोहे की रॉड थी, और दक्षिणी साइड कमरे में, उसकी पत्नी खून के गड्ढे में पड़ी हुई थी और उसके पास उसने एक और लोहे की रॉड पाई। दुकान की अलमारी और शोकेस से सभी सोने के गहने गायब थे। उसके बाद वह पुलिस स्टेशन गया और एक रिपोर्ट (Ex.P-1) दर्ज कराई। PW-1 ने बताया कि उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी और बेटे को आरोपितों ने मार दिया है। उसने पुलिस को यह भी सूचित किया कि उसने सोने के गहने और 18,340

रुपये की नकदी खो दी है। उसकी प्रतिपृच्छामें, उसने बताया कि आरोपी उसके ग्राहक थे और वह उससे सोना खरीदते थे या उससे पैसे लेते थे। उसने A1 का ठेकेदार होना और उसकी वित्तीय स्थिति का ज्ञान होने का इनकार किया।

10. सिविल सहायक सर्जन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इच्छापुरम (PW-19), ने दिवंगत नं. 1 के शरीर का पोस्ट-मॉर्टम परीक्षण किया। उसने एक पोस्ट-मॉर्टम प्रमाणपत्र (Ex.P-14) जारी किया जिसमें उसकी मौत का कारण शॉक के कारण बताया गया था, जो सिर की चोट और रक्तस्राव के बाद हुआ था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इच्छापुरम में एक और सि सिविल सहायक सर्जन (PW-20) ने दिवंगत नं. 2 के शरीर पर पोस्ट-मॉर्टम किया और पोस्ट-मॉर्टम प्रमाणपत्र (Ex.P-15) जारी किया जिसमें उसकी मौत के कारण को लेकर वैसा ही बताया गया था। दोनों PW-19 और PW-20 ने यह सुझाव इनकार किया कि दिवंगतों के शरीरों पर चोटें पहले तले से गिरने के कारण आई हो सकती हैं। सब मिलाकर, इसे सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि उनकी मौतें हत्या की प्रकृति की थीं। उससे भी ज्यादा, क्योंकि शरीरों के पास खून से सने हुए लोहे की छड़ियाँ (MOs1 और 2) मिली थीं।

11. हालांकि वास्तविक हत्याओं के लिए कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, वहाँ तीन अलग गवाह थे जो बता रहे थे कि उन्होंने एक या दोनों आरोपियों को उस भयानक रात के उस देर से घंटे पर PW-1 के घर से 'भागते हुए' देखा था। PWs 4, 6, और 10 वे गवाह हैं। PW-4 ने बताया कि वह भी सोने और चांदी का व्यापार कर रहा था और उन्हें PW-1 के साथ ही आरोपी भी पता थे। उन्होंने बताया कि, 21.08.2008 को लगभग 9.00 बजे, वह और PW-6 अपनी बहन के घर दब्बुरी स्ट्रीट के लिए मेडारावीधी के रास्ते जा रहे थे और उस समय, उन्होंने PW-1 के घर से उच्च स्वर में आवाजें सुनीं। उन्होंने चिल्लाया कि घर के अंदर क्या हो रहा है। घर पर कई लोग इकट्ठा हुए थे। फिर, A1 PW-1 के घर से बाहर आया और भाग गया। उसके बाद, पुलिस PW-1 के घर आई। उनके साथ, वे सभी PW-1 के घर के अंदर गए और पाया कि PW-1 की पत्नी और बेटा मरे हुए थे। PW-1 का बेटा दुकान के कमरे में पड़ा हुआ था और PW-1 की पत्नी का शरीर स्नानघर में था जो दुकान के कमरे के बाद था। PW-1 फिर कैम्प से वापस लौटे। जाँच के दौरान, 11.12.2008 को, उनका बयान धारा 164 Cr.P.C. के तहत सोमपेटा के न्यायिक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया था (Ex.P2)। इस स्तर पर, PW-4 को विरोधी घोषित किया गया था और उसे प्रारंभ में पर खोज लिया गया था। उसने पुलिस के सामने यह कहने का इंकार किया कि आरोपी ने PW-1 के घर में प्रवेश किया था और सोने के गहने और नकद चुरा लिए थे। उसके बयान का परीक्षण करते हुए, PW-4 ने कहा कि PW-1 का घर छिन्नमेडारावीधी के बीच में था और दोनों तरफ, घर स्थित थे। उसने कहा कि उसे नहीं पता था कि PW-1 सोने के गहने की गिरवी रखवा कर कर्ज देने का कारोबार करते थे या नहीं।

12. PW-6 ने बताया कि, 21.08.2008 को लगभग 09.00 pm पर, वह और PW-4 उसके घर की ओर जा रहे थे और उस समय PW-4 अपनी बहन के घर जा रहा था छिन्नमेडारावीधी के रास्ते से। उस समय तक जब वे PW-1 के घर पहुंचे, उन्होंने चीखें सुनीं और पूछा कि क्या हुआ। तब तक वहां 10 से 15 लोग इकट्ठा हो गए थे। फिर, A1 PW-1 के घर से बाहर आया और उसके कंधे पर एक बैग लतकाए बाइक पर भाग गया। 5 या 10 मिनट बाद, A2 PW-1 के घर के ऊपरी हिस्से से पड़ोसी घर पर कूद गया और वहां से, वह नीचे कूद गया। उस समय, A2 भी एक बैग पकड़े हुए था। एक घंटे बाद, PW-1 उसके घर वापस लौटे और पुलिस भी वहाँ पहुंची। पहले कमरे में, अर्थात्, सोने की दुकान में, PW-1 के बेटे को खून में लतकते हुए पाया गया और उसकी पत्नी की शव दुकान के पीछे बाथरूम के पास पाया गया। शवों के पास लोहे की छड़ियाँ मिलीं। अपने प्रतिपृच्छा में, PW-6 ने बताया कि उस समय तक जब वे वहाँ से गुजर रहे थे, लगभग 3 या 4 लोग PW-1 के घर पर मौजूद थे। उसने आगे बताया कि A1 एक ठेकेदार था और उसके पास 8 लॉरीयाँ थीं। हालांकि, उसने A1 सोने का व्यापार करने या एक मंदिर बनाने की जानकारी इनकार की। उसने आरोपितों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों का रंग और उनके द्वारा ले जाए जाने वाले बैगों का रंग बताने में असमर्थ रहा।

13. PW-7 ने बताया कि, 21.08.2008 को लगभग 09.00 बजे रात को, उन्होंने अपनी किराना दुकान बंद कर दी और वह घर लौट रहे थे, और जब तक उन्होंने PW-1 के घर पहुँचा, उन्होंने PW-1 के घर से तेज़ आवाज़ें सुनी और कुछ लोग वहाँ जमा हो गए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पीडब्लू-1 सूचित किया को और कहा कि उसके घर से तेज़ आवाज़ें आ रही थीं और PW -1 कहा कि वह घर लौटेंगे लगभग 10.30 बजे, PW -1 वापस लौटा घर और एक पुलिस रिपोर्ट दी गई थी पुलिस के आने के बाद वे घर के अंदर गया और बायीं ओर दुकान के कमरे में सोफे के पास गया। पीडब्लू-1 का बेटा खून से लथपथ पड़ा था। उसकी पत्नी खून से लथपथ में पड़ी हुई थी बाथरूम के पास खून और शवों के पास लोहे की छड़ें मौजूद थीं। वह आगे बताया कि पीडब्लू-1 के घर में सारा सामान बिखर गया और लगभग 4 कि.ग्रा. सोना और नकदी चोरी/गुम हो गया। अपनी जिरह में उसने कहा कि, जब तक पुलिस वहाँ आई, वह वहाँ था पीडब्लू-1 के घर के बाहर मौजूद। गौरतलब है कि PW -7 ने कुछ नहीं कहा अभियुक्तों की उपस्थिति के बारे में या उनके बारे में PW-1 को सूचित करने के बारे में उसके घर में प्रवेश करना और छोड़ना।

14. PW-10, PW-1 के घर के सामने दूसरे घर में रहते थे। उन्होंने बताया कि, 21.08.2008 को लगभग 09.30 बजे रात को, जब वह खाना खा रहे थे, उन्होंने बाहर से आवाज़ें सुनीं। जब वह बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सड़क पर करीब 10 लोग जमा हो गए थे। इस बीच, A1 PW-1 के घर से भाग गया और फिर A2 PW-1 के घर से भाग गया। उन

दोनों के हाथ में बैग थे। बाद में, उसे पता चला कि आरोपी ने PW-1 की पत्नी और बेटे की हत्या की और सोने के साथ भाग गए थे। उन्होंने बताया कि PW-1 आधे घंटे या एक घंटे के भीतर घर आ गए थे। पुलिस भी घर आई थी। वह घर गया और उसने देखा कि मृतकों के शव थे। उनकी क्रॉस-परीक्षण में, उन्होंने माना कि उन्होंने पुलिस के सामने यह नहीं कहा था कि A1 और A2 बैग पकड़े हुए थे और PW-1 के घर से जल्दी में चले गए थे।

15. अब, आरोपी की गिरफ्तारी पर आते हैं। PW-17 ने बताया कि वह कोलीगम गाँव के गाँव राजस्व अधिकारी थे और 22.08.2008 को, रात के 01.00 बजे के आस-पास, उन्हें पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा इचापुरम टाउन पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। LW-27 उस समय तक वहां मौजूद था। उन्होंने बताया कि उन दोनों और पुलिस ने राधाम स्ट्रीट जगन्नाधस्वामी मंदिर के पास जाने का काम किया। उस समय, एक व्यक्ति वहाँ से भागते हुए दिखाई दिया और पुलिस ने उसे दौड़ कर पकड़ लिया। उसके हाथ में एक बैग था। उसने बताया कि उसका नाम चिनापाना गोपी (A2) था और उसने अपराध की कमीशन का इलजाम लगाया। बैग को उनकी उपस्थिति में जब्त कर लिया गया और खोल दिया गया। उन्होंने पाया कि उसमें सोने के आभूषण और <sup>1</sup> 18,340/- का नकदी था। उसी दिन सुबह के 04.00 या 04.30 बजे, उसने इचापुरम टाउन पुलिस स्टेशन जाया और दोनों आरोपी वहाँ मौजूद थे। पुलिस ने फिर उसकी उपस्थिति में दोनों आरोपियों के खून से सने हुए कपड़े जब्त कर लिए। उसकी क्रॉस-परीक्षण में, उसने बताया कि उसे A2 से जब्त बैग का रंग या जब्त आभूषणों की संख्या याद नहीं थी।

16. PW-16, पुरुषोत्तापुरम, इचापुरम मंडल के गाँव राजस्व अधिकारी, ने बताया कि 22.08.2008 को रात के लगभग 02.30 बजे, पुलिस इंस्पेक्टर, इचापुरम, ने उसे और LW-25 को बुलाया और उन दोनों ने, पुलिस इंस्पेक्टर और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ, एक पुलिस जीप में गोल्लावीधि गए। पुलिस जीप को देखकर, एक व्यक्ति दौड़ने लगा लेकिन पुलिस ने उसे दौड़ कर पकड़ लिया। उसे पुलिस इंस्पेक्टर के सामने लाया गया और उससे पूछताछ की गई कि वह क्यों भाग रहा था, उसने खुद को डक्कटा बालराम रेड्डी (A1) के रूप में पहचाना। उसने कहा कि उसने PW-1 की पत्नी और बेटे को मार डाला था और सोने के आभूषण ले लिए थे। आभूषणों के बारे में पूछताछ की जाने पर, उसने अपने कमरे से, अर्थात् लगभग 30 आइटम्स, एक बैग में आभूषण लाए। PW-16 ने आगे बताया कि, उसी दिन सुबह करीब 04.40 बजे, पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे पुलिस स्टेशन बुलाया और वह LW-26 के साथ वहाँ गया। पुलिस ने A1 की पीली टी-शर्ट (MO 97) और हल्के सीमेंट रंग की जींस पैंट (MO 98) के साथ A2 की खून से सने हुए सीमेंट रंग की जींस (MO 99) जब्त कर ली।

17. PW-26 ने 13.10.2006 से 19.09.2008 तक सोमपेटा में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में कार्य किया। उन्होंने बताया कि, 21.08.2008 को, जब वह इच्छापुरम Circle का

अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, उन्हें इच्छापुरम ग्रामीण पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर पुलिस (PW-23) से विषय अपराध की जानकारी मिली। उन्होंने तुरंत वहाँ पहुँचने का काम किया और अपराधियों को पकड़ने के लिए वाहन जाँच करने के लिए रेडियो संदेश भी भेजे। उन्होंने रात 11.45 बजे अपराध स्थल पर पहुँचकर मृतकों का परीक्षण किया। इसी बीच, उन्हें अपराधीयों की गतिविधियों की जानकारी मिली और वह अपराध स्थल छोड़ दिया। उन्होंने दो मध्यस्थों को पकड़ा और अपने कर्मचारियों के साथ, वह राधामवीधी, जगन्नाथस्वामी मंदिर, के लिए 01.15 बजे करीब पहुँचे और देखा कि एक व्यक्ति, एक हाथ का बैग उठाए, पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने उस व्यक्ति (A2) को पकड़ लिया और उससे बैग की सामग्री के बारे में सवाल किया। उन्होंने उससे पूछताछ की और उसने अपराध की कमीशन का कबूलनामा कर दिया। उसके द्वारा ले जाए गए बैग की जाँच की गई और उसमें 18,340/- रुपये के साथ स्वर्ण आभूषण पाए गए। फिर, PW-26, आरोपी, उनके कर्मचारियों और मध्यस्थों के साथ, इच्छापुरम नगरपालिका की गोल्लावीधी पर स्थित दूसरे आरोपी डक्कटा बालराम रेड्डी, के घर को दौड़े गए, और पुलिस को देखकर एक व्यक्ति (A1) भागने की कोशिश कर रहा था। उसे पकड़ लिया गया और मध्यस्थों की उपस्थिति में उससे पूछताछ की गई। उसने भी अपराध की कमीशन का कबूलनामा कर दिया और दूसरे आरोपी द्वारा दिया गया संस्करण स्थापित किया। PW-26 ने बताया कि उसके बाद उसने उससे चोरी की गई संपत्ति के बारे में सवाल किया और उसने घर के साइड रूम से एक बैग और खून से सने हुए कपड़े लेकर उसे सौंप दिया। बैग में स्वर्ण आभूषण थे। PW-26 ने फिर करीब 04.00 बजे A1 को गिरफ्तार किया और जब्त की गई संपत्ति के साथ दोनों आरोपियों को पुलिस स्टेशन ले आए। अपराध के समय उनके कपड़ों के बारे में और सवाल करने पर, उन्होंने प्रकट किया कि वे अपराध के समय वही कपड़े पहने थे। उसके बाद उन्होंने कुछ और कपड़े हासिल किए और उनके खून से सने हुए कपड़े जब्त कर लिए।

18. PW-27 ने बताया कि वह 09.02.2008 से 09.05.2010 तक इच्छापुरम में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहा था। उसने बताया कि उसने 31.08.2008 को हाथ में मौजूद मामले में आगे की जाँच शुरू की थी और उस समय तक PW-26 ने जाँच की थी। उसने मध्यस्थों की उपस्थिति में जब्त की गई स्वर्ण आभूषणों की परीक्षण पहचान परेड की बात की।

19. FPB यूनिट के पुलिस इंस्पेक्टर सीकाकुलम को PW-24 के रूप में परीक्षण किया गया। उसने बताया कि, इच्छापुरम पुलिस स्टेशन से टेलीफोन मैसेज प्राप्त होने पर, उसने 22.08.2008 को सुबह करीब 06.00 बजे क्लूज टीम के साथ अपराध स्थल का आवलोकन किया और एक ग्लास शो केस पर चार अवसर उंगलियों के निशान और एक क्रीम-रंग के प्लास्टिक बॉक्स पर एक अवसर फिंगरप्रिंट विकसित किया। उसने बताया कि उसने दो अवसर प्रिंट्स की फोटोकॉपियाँ तुलना के लिए अनुपयुक्त पाई लेकिन A, D और E के रूप में चिह्नित

अवसर प्रिंट्स तुलना के लिए उपयुक्त थे। A और E के रूप में चिह्नित उंगलियों के निशान दोनों आरोपियों के उंगलियों के निशान के साथ मेल खाते थे। उसकी क्रॉस-परीक्षण में, उसने बताया कि उसने आरोपियों के नमूना उंगलियों के निशान कोर्ट से नहीं प्राप्त किया था बल्कि जाँच अधिकारी से प्राप्त किया था।

जहाँ तक इस फिंगरप्रिंट्स साक्ष्य का सवाल है, हम देखते हैं कि इसे ध्यान में लेने से बाहर कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि आरोपी पहले ही हिरासत में थे जब तक यह कहा जाता है कि अपराध स्थल से मौका पर उंगलियों के निशान उठाए गए थे। और भी महत्वपूर्ण बात, इस कथित साक्ष्य को इकट्ठा करते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इन मौका पर प्रिंट्स को उठाने के समय कोई रिपोर्ट साक्षी गवाहों की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई थी। इसी प्रकार, आरोपी के नमूना उंगलियों के निशान लेने के समय भी कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी। इसलिए, PW-24 का जो साक्ष्य है कि दो मौका पर प्रिंट्स आरोपियों के उंगलियों के निशान के साथ मेल खाते हैं, उसे कोई महत्व नहीं दिया जा सकता है। दी गई प्रक्रिया का पालन न करने में विफलता ने PW-24 की निकाली गई शोधनाएँ पूरी तरह से अविश्वसनीय बना दी थीं।

20. श्री आर. बसंत, वरिष्ठ परामर्शदाता, तर्क करेंगे कि PW-1 के घर के बाहर कोई प्रकाश उपलब्ध नहीं है, जिससे गवाह यह देख सकते थे कि आरोपी बैग के साथ भाग रहे थे। हम इस राय में हैं कि इस तथ्यिक पहलू पर इस देर से आरोपी को उठाने का कोई अधिकार नहीं होगा। कभी इस बात पर बहस नहीं की गई थी कि प्रश्नित क्षेत्र में पर्याप्त सड़क की लाइटें नहीं थीं, जिससे गवाहों के बयानात की प्रमाणिक मूल्य को वे जो देखते हैं, उसे हमला किया जा सकता है। और भी, जैसा कि यह रिकॉर्ड पर आ चुका है कि PW-1 के आभूषण की दुकान के अलावा, आस-पड़ोस में अन्य आभूषण की दुकानें थीं और पुलिस स्टेशन खुद सिर्फ आधा किलोमीटर दूर था। अगर ऐसा था, तो विश्वस्त करना मुश्किल है कि ऐसे क्षेत्र में कोई सड़क की लाइटें नहीं होंगी। किसी भी परिस्थिति में, यह अदालत इस तथ्यिक पहलू में जांच आरंभ करने का प्रस्ताव नहीं कर रही है, जिसे विचारण न्यायालयया उच्च न्यायालय के सामने उठाया नहीं गया था।

21. निस्संदेह, प्रशासन के मामले में कुछ विसंगतियाँ और विरोधाभास हैं। दुर्भाग्यपूर्ण रात की अपराध स्थल पर घटनाक्रम के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। गवाहों ने पुलिस की पहुँच का समय और उन्होंने जो कुछ देखा और कहा, उसके बारे में भिन्न-भिन्न संस्करण दिए। PW-1 के बयान का कोई पुष्टिकरण नहीं है कि आरोपी का उसके घर में प्रवेश और बाहर जाने का सूचना PW-7 ने उसे दी थी, क्योंकि PW-7 ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसके अलावा, उस समय आरोपी द्वारा पहनी गई कपड़ों की पुनर्प्राप्ति भी संदिग्ध है। एक संस्करण यह है कि वे पुलिस स्टेशन पर उन्हें अभी भी पहने हुए थे और पुलिस ने उन्हें वहाँ अन्य

कपड़े प्रदान करके जब्त कर लिए थे, जबकि दूसरा है कि A1 ने अपने घर पर आभूषण के बैग के साथ खून से सने हुए कपड़े PW-26 को सौंप दिए थे। हालाँकि, समय के बीतने के कारण गवाहों के बयानात में जो कुछ उन्होंने देखा और कहा उसमें कुछ भिन्नता होनी चाहिए। ध्यान दीजिए कि प्रकरण की घटना 21.08.2008 की रात को हुई थी और गवाहों की जमानतें 2015 के बाद के हिस्से में विचारण न्यायालयद्वारा दर्ज की गई थीं। किसी भी परिस्थिति में, जैसा कि पहले ही यहाँ उल्लेख किया गया है, यह अदालत तथ्यात्मक मुद्दों पर घूमती जाँच या साक्ष्य को पुनः मूल्यांकन नहीं करेगी, जब तक यह नहीं निकाला जाता कि विचारण न्यायालयया उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य की मूल्यांकन में कोई विकृति है, जिससे न्यायिक विफलता हो रही है। जाँच या प्रक्रिया में हल्की दोषताएँ अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं, प्रशासन के मामले अविश्वसनीय बनाने के लिए। केवल दोषपूर्ण जाँच की आधार पर दोषमुक्ति देना घायल पर नमक छिड़कना होगा [देखें **करनेल सिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य {(1995) 5 SCC 518}**]

22. उसी तरह, TIP के दौरान PW-1 द्वारा सोने के गहनों की पहचान कोई संदेह नहीं उठाता है। आंध्र प्रदेश पुलिस जांच मैनुअल, भाग I, खंड IIA, का आदेश 474 प्रावधान करता है कि संपत्तियों की पहचान को कोर्ट परिसर में किया जाना चाहिए, मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत, या तो मजिस्ट्रेट द्वारा या स्वतंत्र गवाहों के माध्यम से, अगर संपत्तियां पहले ही कोर्ट को भेज दी गई हैं, और अन्य मामलों में, स्वतंत्र गवाहों को पुलिस की अनुपस्थिति में संपत्ति की पहचान की प्रक्रिया करनी चाहिए, एक पंचनामा के तहत। पहचान के लिए होने वाली संपत्तियां समान वस्त्रों के साथ मिलाई जानी चाहिए और गवाहों से उन्हें पहचानने के लिए कहा जाना चाहिए। इस मामले में, जब यही प्रक्रिया अपनाई गई थी, तो PW-1 की जब्त सोने के गहनों की पहचान को, जो उसकी दुकान से लिए गए थे, संदेहित करने का कोई कारण नहीं है।

23. इस संबंध में, यह भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि A2 को कुछ चुराए गए गहनों वाले एक बैग के साथ पाया गया था और, इसलिए, ऐसा स्वयं ही उसके खिलाफ बोलता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 की धारा 114 (ए) के अनुसार। यह एक ऐसा तथ्य है जो विशेष रूप से उसके ज्ञान में है, इसलिए A2 के लिए यह स्पष्ट करना था कि वह उन चुराए गए गहनों का कैसे कब्जा कर बैठा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 की धारा 106 के तहत। हालांकि, उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। A1 के बारे में, यह प्रत्यर्पण का मामला है कि उसने अपराध की स्वीकृति दी और जब उससे चुराए गए स्वर्ण गहनों के बारे में सवाल किया गया, तो उसने स्वयं ही अपने घर के दूसरे कमरे में जाकर एक बैग लाया जिसमें स्वर्ण गहने थे। इसलिए, उसकी इस स्वीकृति का यह हिस्सा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 की धारा 27 के तहत, स्वीकार्य होगा, क्योंकि इसने चुराए गए स्वर्ण गहनों की पुनः प्राप्ति की दिशा में ले जाया।

24. कोई संदेह नहीं है कि इस चुराई गई संपत्ति की पुनः प्राप्ति अभियुक्तों से स्वयं में ही उन्हें हत्या के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। हालांकि, रिकॉर्ड पर साक्ष्य का भार, कुल मिलाकर, दूसरे विचार के लिए कोई स्थान न छोड़ते हुए, अभियुक्तों की दोषी होने की दिशा में स्थिर रूप से सूचित करता है। अपरिहार्य तथ्य बना रहता है कि PWs 4, 6, और 10, जो एक दूसरे से स्वतंत्र गवाह थे और जिन्होंने अभियुक्तों के साथ कोई प्रतिशोध या शत्रुता नहीं थी, उन्होंने एक सार्थकता में बात की कि उन्होंने उन्हें PW-1 के घर से भागते हुए देखा था, बैग उनके पास थे। तीन अलग-अलग गवाहों ने अभियुक्तों को झूठा फंसाने का चयन क्यों किया, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है।

25. इस केस की कुल परिस्थितियों को देखते हुए, जो दिखाता है कि 21.08.2008 और 22.08.2008 की मध्यरात्रि के बीच घटनाएँ तेजी से घटित हुईं, जिससे न केवल गवाहों द्वारा अभियुक्तों की पहचान हो पाई बल्कि उनका हिरासत में लेना और गिरफ्तारी भी हुई, साथ ही उनके अधिग्रहण से चुराई गई सोने की आभूषण और नकदी का जब्ता भी हुआ, यह स्पष्ट रूप से साफ है कि पुलिस के पास उन पर एक झूठा केस गढ़ने का समय या संभावना नहीं थी। कुछ वर्षों के बाद गवाहों द्वारा दिए गए बयानों में छोटी-छोटी विसंगतियाँ और कमियाँ ऐसी परिस्थिति में अवश्य ही नजरअंदाज की जानी चाहिएगी।

26. इस प्रकार देखते हुए, हमें ऐसा नहीं लगता कि विचारण न्यायालय और हाई कोर्ट ने कोई प्रत्यक्ष अवैधता या स्पष्ट अन्याय किया हो, जिससे संविधान की धारा 136 के तहत विवेकाधीन क्षेत्रधीकार का उपयोग करना आवश्यक हो। अतः, आपराधिक अपील को यथास्थिति बिना किसी योग्यता के पाया गया है और इसे तत्काल खारिज कर दिया गया है।

दिव्या पांडे

अपील खारिज।

(सहायता करते हुए: रूपांशी विरंग, LCRA)

रीना पाण्डेय वकील द्वारा अनुवादित